

(परिशिष्ट- अ)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र. 517-

माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा के पत्र क्र. 668 दि. 07.11.2024 में उल्लेखित आयुक्त, रीवा संभाग को प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की पूरक जानकारी-

क्र.	पत्र क्र. एवं दिनांक	विषय	पत्र पर की गई कार्यवाही/निर्देश की जानकारी एवं वर्तमान स्थिति
1	पत्र क्र. 474 दि. 15.09.24	वर्ष 2019 से 2023-24 के दौरान मंडी निधि से कराये गये कार्यों की जांच कराकर राशि वसूली के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही बावत्।	पत्र क्र. 3600 दि. 01.10.24 द्वारा शिकायत की जांच कराकर प्रतिवेदन कलेक्टर जिला रीवा/सतना/सिंगरौली/मैहर से चाहा गया जो अप्राप्त है। प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्र. 4344 दि. 26.11.2024 द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया है। उपरोक्त किये गये पत्राचारों की प्रतियां माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयीं हैं।
2	पत्र क्र. 137 दि. 29.01.24	ग्राम पंचायत मनकहरी जनपद पंचायत रायपुर कर्चु. में सरपंच द्वारा अनियमितता किये जाने के संबंध में।	पत्र क्र. 512 दि. 14.02.2024 द्वारा शिकायत की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से माननीय विधायक जी को अवगत कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को लेख किया गया है। कार्यालयीन पत्र क्र. 1907 दि. 05.06.2024, पत्र क्र. 3567 दि. 27.09.24 एवं पत्र क्र. 4345 दि. 26.11.2024 द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही से माननीय विधायक जी को शीघ्र अवगत कराने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को पुनः निर्देशित किया गया है। उपरोक्त किये गये पत्राचारों की प्रतियां माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयीं हैं।
3	पत्र क्र. 46 दि. 30.12.23	कपिलधारा, मेड़ बंधानं, खेत तालाब योजना के तहत फर्जी तरीके से राशि निकालने पर कार्यवाही करने के संबंध में।	पत्र क्र. 271 दि. 25.01.24 द्वारा शिकायत की जांच कराकर प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा से चाहा गया था। प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर स्मरण पत्र क्र. 307 दि. 30.01.24, पत्र क्र. 2100 दि. 19.06.24 एवं पत्र क्र. 4347 दि. 26.11.24 द्वारा जारी किया गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है। उपरोक्तानुसार किये गये पत्राचारों की प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयीं हैं।
4	पत्र क्र. 609 दि. 18.10.24	एकीकृत बागवानी विकास के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी न सुनिश्चित करने पर कार्यवाही बावत्।	पत्र क्र. 4339 दि. 26.11.24 द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त संचालक, उद्यान, रीवा संभाग, रीवा को लेख किया गया है। जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
5	पत्र क्र. 620 दि. 22.10.24	रीवा जिले में बलराम तालाब योजना से सिंचित रकवे व हितग्राहियों के नाम सहित विवरण उपलब्ध कराये जाने बावत्।	पत्र क्र. 4340 दि. 26.11.2024 द्वारा शिकायत की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से माननीय विधायक जी को अवगत कराने हेतु कलेक्टर जिला रीवा को लेख किया गया है। जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
6	पत्र क्र. 608 दि. 18.10.24	शासन के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिला सिंचाई योजनाओं को तैयार न करने एवं पात्रों को लाभान्वित न करने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्।	पत्र क्र. 4337 दि. 26.11.24 द्वारा जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, रीवा संभाग, रीवा को लेख किया गया है। जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
ग्रामाज्य प्रशासन विभाग


क्र 668 दिनांक 07.11.2027	कार्यालय कलेक्टर, जिला रीवा में प्रस्तुत किये गये पत्रों पर कार्यवाही करने एवं निराकरण कर समय पर अवगत न कराने के लिये जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्।	मान. विधायक जी से प्राप्त पत्र के अनुक्रम में कार्यालयीन पत्र क्र 4301/सामान्य/पांच/2024 दिनांक 20.11.24 से कलेक्टर जिला रीवा को पत्र पर कार्यवाही हेतु लेख किया गया। तदुपरांत उक्त पत्र पर शासन द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया जिस पर कार्यालयीन पत्र क्र 4365/सामान्य/पांच/2024 दिनांक 27.11.24 से कलेक्टर जिला रीवा से प्रतिवेदन चाहा गया जो अप्राप्त हैं। उक्त पत्राचारों की प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी हैं।
8 पत्र क्र 108 दिनांक 23.01.24	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 462/178/2015/22-पी-2 दिनांक 28.04.2015 एवं अन्य समय-समय पर जारी पत्रों के तारतम्य में।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को पत्र क्र 6/वि/यो/2024/510 दिनांक 14.02.2024 से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
9 पत्र क्र 452 दिनांक 04.09.24	ब्लाक स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी सेमरिया/ हुजूर जिला रीवा द्वारा सहयोग न किये जाने के कारण दिनांक 04.09.24 को आयोजित होने वाली बैठक नहीं हो सकी जिसके जिम्मेदारों पर कार्यवाही के साथ बैठक आयोजित कराये जाने बावत् निर्देश जारी किये जाने के संबंध में।	कलेक्टर जिला रीवा को समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/3406 दिनांक 18.09.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
10 पत्र क्र 453 दिनांक 05.09.24	सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बसामान मामा के गौ-अभ्यारण्य / गौशाला की संचालन समिति / संचालन मंडल की बैठक आयोजित कराये जाने के संबंध में।	कलेक्टर जिला रीवा को समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/3421 दिनांक 19.09.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
11 पत्र क्र 610 दिनांक 18.10.24	क्रियान्वयन एजेंसी एम.पी. एग्री को किये गये अग्रिम भुगतान के जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्	कलेक्टर जिला रीवा को जांच एवं समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/4270 दिनांक 20.11.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
12 पत्र क्र 616 दिनांक 21.10.24	प्रावधिक विलिंग के अत्यधिक प्रकरण तैयार कर उपभोक्ताओं से आंकलित खपत के अनुसार किया जाकर उपभोक्ताओं से आंकलित खपत के अनुसार किया जाकर उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही	कलेक्टर जिला रीवा को जांच एवं समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/4270 दिनांक 20.11.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
13 पत्र क्र 617 दिनांक 21.10.24	एच.टी. योग्य उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में छूट न दिये जाने की जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्।	कलेक्टर जिला रीवा को जांच एवं समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/4270 दिनांक 20.11.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
14 पत्र क्र 618 दिनांक 21.10.24	जन अभियान परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को लेखा परीक्षक को प्रस्तुत न किये जाने के जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्।	कलेक्टर जिला रीवा को जांच एवं समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र 6/वि/यो/2024/4270 दिनांक 20.11.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग



पत्र क्र. 619 दिनांक 21.10.24	प्राक्कलनों में वृक्षारोपण एवं सर्विस रोडों को राशि उपलब्ध होने के बाद भी शामिल न करने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही बावत्।	कलेक्टर जिला रीवा को जांच एवं समुचित कार्यवाही हेतु पत्र क्र. 6/चि/यो/2024/4270 दिनांक 20.11.24 से निर्देश जारी किये गये, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
16 पत्र क्र. 486 दि. 17.09.24	श्री पुष्पराम सिंह पटवारी हल्का रंगौली तह. सेमरिया रीवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच अन्यत्र हटाते हुए कराए जाने बावत्।	कलेक्टर रीवा पत्र क्र. 3517/शिका./2024 दि. 26.09.2024 द्वारा जांच करते हुए कृत कार्यवाही से माननीय विधायक जी को अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसकी प्रति माननीय विधायक जी को भी प्रेषित की गयी है।
17 पत्र क्र. 480 दि. 16.09.24	जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से आदिवासी बस्ती विकास मद के कार्यों की जांच कराकर कार्यवाही के साथ राशि वसूली बावत्।	पत्र क्र. 3511/राजस्व/4/3/2024 दि. 25.09.24 से जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कलेक्टर रीवा एवं मऊगंज को निर्देश दिये गये एवं पत्र क्र. 4396 दि. 29.11.24 द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया है। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
ग्रामाव्य प्रशासन विभाग


उपायुक्त(राजस्व)
रीवा संभाग, रीवा